>

Title: Regarding alleged illegal mining of sand and stone in rivers in Chhattisgarh-laid.

श्री चुन्नीलाल साहू (महासमुन्द): छत्तीसगढ़ मे खदान आवंटन की निश्चित अवधि पश्चात भी नियमो को ताक मे रखकर रेत और पत्थर का अवैध खनन जारी है । नदियों से रेत ठेकेदारों द्वारा चैन माउंटेन से रेत का बेखौफ़ उत्खनन किया जा रहा है । नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की अवहेलना की जा रही है । इस अवैध कार्य पर रोक लगाने मे विभागीय अफसर भी नाकाम रहे है ।

छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी महानदी व तंदुला नदी या अन्य प्रमुख नदियों से खनिज विभाग द्वारा ठेकेदारी प्रथा के अनुसार खदान आवंटित किया गया है । परंतु रेत व पत्थर खनन के साथ विभागीय नियमों का भी पालन होना चाहिए । अवैध रूप से गाड़ियों मे ओवर लोडिंग की जाती है जिससे परिवहन सड़कों की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है ।

खराब सड़कों के रख-रखाव एवं संधारण हेतु जन-प्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों द्वारा विरोध जताने या केस दर्ज करने पर रेत-माफियाओं द्वारा उन पर प्राण घातक हमले होते है । रेत और पत्थर माफियाओं की मनमानी छत्तीसगढ़ मे किसके संरक्षण मे चल रही है, यह जांच का विषय है । ऐसे ही खनिज विभाग उदासीन रहा तो ठेकेदारों की मनमानी से पर्यावरणीय नुकसान होता रहेगा ।

अत: सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त संबंध मे शीघ्र जांच कराकर उचित कार्यवाही हेतु निर्देशित करें ।